कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 46 / 2024

श्री रामगोपाल चौधरी, मकान नं. 263 मोहल्ला चमरी, दिल्ली रोड हापुड, उत्तर प्रदेश

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 25.10.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री रामगोपाल चौधरी, मकान नं. 263 मोहल्ला चमरी, दिल्ली रोड हापुड, उत्तर प्रदेश की अपील लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 703 दिनांक 14.10.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर के पत्रांक आर.टी.आई. / 2024 / 216 दिनांक 21.10.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि:–

..2024

जिला कलक्टर
भरतपुर

"....... प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 बिन्दुसं0 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की नकल देने का आर.टी. आई. में प्रावधान है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। इस सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 198 दिनांक 19.09.2024 से आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड डाक अवगत कराया गया। साथ ही बिन्दु सं0 3 की सूचना हेतु धारा 6 (3) के तहत आवेदन पत्र अन्तरित कर पत्रांक 199 दिनांक 19.09.2024 के द्वारा तहसीलदार भरतपुर को भिजवाया जाकर सूचना सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके जबाब में तहसीलदार भरतपुर द्वारा बिन्दु सं0 3 की सूचना हेतु पत्रांक 6138 दिनांक 04.10.2024 से आवेदक को अवगत कराया जा चुका है।....."

उक्तानुसार प्राप्त जबाब एवं संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जवाव दिया जा चुका है। अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी भरतपुर को भी प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर